18/2/26

फा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु मौका चाहा गया। मूल वाद पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।